प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 28.07.2026

➢ **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 26.06.2026 को वादी द्वारा अपनी पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को विपक्षी अरुण द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 **180/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस** बनाम अरूण कुमार पुत्र श्याम सिंह राठौर निवासी ग्राम सुरासी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता के बयान धारा 180/183 बीएनएसएस, मेडिकल परीक्षण एवं अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र श्याम सिंह राठौर निवासी ग्राम सुरासी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को रेलवे स्टेशन झींझक के सामने चाय की दुकान थाना क्षेत्र मंगलपुर से आज दिनांक 28.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1.अरुण कुमार राठौर उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र श्यामसिंह राठौर निवासी ग्राम सुरासी थाना मंगलपुर कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री डोरीलाल
2. हे0का0 222 शुभनीत
3. रि0का0 987 आलोक कुमार
4. रि0का0 855 विश्वप्रताप